

प्रेस नोट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर दिनांक 11.08.2026

हत्या का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष चिलुआताल के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 627/2026 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त रविन्द्र कुमार पुत्र रामधनी निवासी विशुनपुर टोला सप्तहिया थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 109 बीएनएस का विलोपन किया गया तथा धारा 103(1) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 01.08.2026 को अभियुक्त (पीड़िता के पति) द्वारा वादिनी की बहन को द्वारा जान से मारने की नियत से छत से ढकेल दिया गया था जिसे गंभीर चोटें आयी थी जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 627/2026 धारा 109 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। दिनांक 10.08.2026 को पीड़िता की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। जिसके क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 109 बीएनएस का विलोपन किया गया तथा धारा 103(1) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रविन्द्र कुमार पुत्र रामधनी निवासी विशुनपुर टोला सप्तहिया थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 627/2026 धारा 103(1) बीएनएस थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम -

1. थानाध्यक्ष उ0नि0 सूरज सिंह थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 विपिन कुमार यादव थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
3. हे0का0 अजयनरायण सिंह थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
4. रि0का0 प्रदीप कुमार यादव 1 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
5. कां0 राहुल यादव 5 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

